न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 175/2021
GCMS NO. : 2021/344

–:: वादीगण ::–

1. सुमेरसिंह पुत्र हरिसिंह
2. जयसिंह पुत्र अचलसिंह

जातियान–पुरोहित,
निवासीगण–तालकिया
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. जब्बरसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र भोपालसिह
3. कुन्दनसिंह पुत्र भोपालसिंह
4. मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह
5. सुमित्रा पुत्री भोपालसिंह
6. अन्तरा देवी पत्नी भोपालसिंह

जातियान– पुरोहित निवासी– तालकिया तहसील– जैतारण।

प्रार्थना पत्र हस्ब दफा 151 सीपीसी .

तारीख रजू:.14/10/2021

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण।
2. श्री शाकीर हुसैन,श्री हरिओम पारीक अधिवक्ता, अप्रार्थीगण/प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/03/2022**

वकील अप्रार्थीगण/प्रार्थी संख्या 1 व 3 ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया कि प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण ने विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का दिनांक 18.01.2021 को मुकदमा संख्या 97/2014 में पारित प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 23.08.2021 को संशोधित प्राथमिक डिक्री व दिनांक 29.07.2021 को पारित अंतिम डिक्री को अपास्त करने एवं वाद में सुनवाई का अवसर देने की दादरसी हेतू माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचारणीय है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वादपत्र संख्या 97/2014 में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2021 को अपास्त करवाने की दादरसी हेतू माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय पाली के समक्ष डिक्री अपील अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो अपील संख्या 72/2021 है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसकी प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा समान दादरसी हेतू माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष मौजूदा प्रार्थना पत्र व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान व उत्पीड़ित करने के प्रयोजन से दोहरी कार्यवाही कर रहा है। जो माननीय न्यायालय का एब्युज प्रोसेस ऑफ लॉ है। विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक दादरसी हेतू एक ही प्रकार की कार्यवाही कानूनन की जा सकती है परन्तु प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2021 को निरस्त करवने हेतू अपील प्रस्तुत की है और इसी दादरसी हेतू माननीय न्यायालय हाजा में यह आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है जो विधिविरुद्ध है एवं एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेबल नही होने से इसी स्तर पर खारिज फरमावे। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। यह प्रार्थना पत्र चालू रखना न्यायालय के प्रोसेस का दुरूपयोग है यह राजस्व वाद निरर्थक हो जाने से काबिल खारिज के है।

अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन करनें पर अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना-पत्र बंद किया गया और वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली और उस उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का भलीभाँति अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है प्रार्थी सुमेरसिंह व जयसिंह द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 97/2014 निर्णय दिनांक 29.07.2021 की डिक्री को अपास्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जो जैरकार है। अप्रार्थीगण जब्बरसिंह वगैरह द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व वादपत्र संख्या 97/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2021 को अपास्त करवाने की दादरसी हेतू प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा चूकी है जो जैरकार है। अतः एक ही प्रकरण में समान अनुतोष के लिए प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विधिविरूद्ध एवं एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमावे।

प्रार्थी जब्बरसिंह की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी की आदेशिका एवं अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 97/2014 बअनवान् जब्बरसिंह बनाम कुन्दनसिंह वगैरह में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 29.07.2021 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष दिनांक 10.11.2021 को प्रस्तुत किया जो जैरकार है, जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2021 को अपास्त किए जाने की इस्तदुआ की है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2021 को अपास्त किए जाने का ही अनुरोध किया है। इस प्रकार जब प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पहले ही सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जो वर्तमान में जैरकार है। ऐसी परिस्थिति में समान अनुतोष के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अधीनस्थ न्यायालय हाजा में आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समान अनुतोष की मांग किया जाना तथा इस बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना विधिसंगत एवं उचित नही कहा जा सकता क्योकि ऐसे प्रार्थना पत्र पर विचारण करना माननीय अपीलीय न्यायालय के समानान्तर न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ करने की श्रेणी में आता है जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता तथा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग भी है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अप्रार्थीगण अंतर्गत धारा–151 सीपीसी बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है, प्रार्थी सुमेरसिंह व जयसिंह द्वारा प्रस्तुत एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/03/2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested